

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ  
पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)  
प्रकरण संख्या - 2/2018

अनवान : -

1. श्री मेघनाथ मठ डेरा गोरखाना जरिये मठाधिश योगी गोपालनाथ जाति नाथ निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

- वादी

**बनाम**

1. जसरथ पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. प्रहलाद पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. किशनलाल 4. बलवीर पि० भीगाराम जाति जोतकी निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
5. सावित्री पत्नी बंशीधर जाति सुनार निवासी गोरखाना तहसील नोहर
6. तीजा पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
7. रामजीलाल 8. भजनलाल 9. रामकुमार पि० बेगाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिय तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।।

- प्रतिवादीगण

**दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा  
53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम**

उपस्थिति :- श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी  
पेरोकार राज

निर्णय


दिनांक: 18/02/26

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद राजस्थान कास्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 53 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता सं० 264/218 के ख०न० 53 की 1.644 हैक्ट ख०न० 54 की 0.3790 हैक्ट, ख०न० 57 की 0.9480 हैक्ट ख०० 373 की 0.0760 हैक्ट ख०न० 395 की 1.290 हैक्ट, ख०न० 396 की 1.771 हैक्ट ख०न० 438 की 4.034 हैक्ट, ख०न० 473 की 5.311 हैक्ट, ख०न० 474 की 2.555 हैक्ट, ख०न० 476 की 3.705 हैक्ट, ख०न० 482 की 1.290 हैक्ट ख०न० 486 की 4.3250 हैक्ट कुल खसरेजात 12 की 27.3280 हैक्ट भूमि स्थित है। जिसके वादी व प्रतिवादीगण मुश्तरका खातेदार काश्तकार है।

रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता सं० 264/218 की कुल तादादी 27.3280 हैक्ट भूमि में वादी अकेला 985 हिस्से व प्रतिवादी सं० 1 व 2 ब.हि.ब. 159 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 3 व 4 ब०हि०ब० 160 हिस्सा, प्रतिवादी सं० 5 अकेली 202 हिस्सा, प्रतिवादीया सं० 6 अकेली 235 हिस्सा, व प्रतिवादी सं० 7 ता 9 ब.हि.ब. 420 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है वाद भूमि का खाता व लगान मुश्तरका रहने से आपस में सींव डोल आदि का झगडा बना रहता है तथा लगान के संबंध में तनाजात रहते है इसलिए कब्जा काश्तक के मुताबिक वादी अपना खाता व लगान अलग करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की विवादित भूमि का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के खाता एवं लगान तकसीम करवा ले तो कई दिन तक आजकल आजकल करते रहें आखिर इन्कार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

अतः वाद वादी घोषणा की जावें की रोही मौजा गोरखाना तहसील नोहर के खाता सं० 264/218 की कुल तादादी 27.3280 हैक्ट भूमि के वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है, का मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त के अनुसार खाता व लगान अलग किया जावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जरिये अधिवक्ता वाद वादी प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी व प्रतिवादी ने मुताबिक मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा गोरखाना के ख0न0 53 की 1.644 हैक्ट ख0न0 54 की 0.3790 हैक्ट, ख0न0 57 की 0.9480 हैक्ट ख00 373 की 0.0760 हैक्ट ख0न0 395 की 1.290 हैक्ट, ख0न0 396 की 1.771 हैक्ट ख0न0 438 की 4.034 हैक्ट, ख0न0 473 की 5.311 हैक्ट, ख0न0 474 की 2.555 हैक्ट, ख0न0 476 की 3.705 हैक्ट, ख0न0 482 की 1.290 हैक्ट ख0न0 486 की 4.3250 हैक्ट कुल खसरेजात 12 की 27.3280 हैक्ट भूमि भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है—


- 1 श्री मेघनाथ मठ डेरा गोरखाना हिस्सा पूर्ण खातेदार— ख0न0 373 की 0.076 हैक्ट, 395/1.29, 396/1.771, 476/3.705, 482/1.29, 486/4.325 कुल खसरा 06 कुल रकबा 12.457 हैक्ट
- 2 तीजा पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट सा0 देह खातेदार हिस्सा पूर्ण रहन हिस्सा पूर्ण आईसीआईसीआई बैंक लि शाखा नोहर— ख0न0 53/1.644, 54 की 0.379, 57 की 0.948 हैक्ट कुल खसरा 03 कुल रकबा 02.971 हैक्ट
- 3 जसरथ उर्फ दसरथ पुत्र दुनीराम जाति जाट हि0 पूर्ण सा0 देह खातेदार ख0न0 438/1 की 1.005 हैक्ट
- 4 जगदीश पुत्र प्रहलाद हि0 1/3 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन हि0 1/3 एसबीआई शाखा गोरखाना, रजनीश पुत्र प्रहलाद हि0 1/3 जाति जाट सा देह खातेदार रहन हिस्सा 1/3 पूर्ण एसबीआई शाखा गोरखाना, विमला पत्नी प्रहलाद हि0 1/3 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन हि0 1/3 पूर्ण एसबीआई शाखा गोरखाना— ख0न0 438/2 की 1.006 हैक्ट
- 5 किशनलाल पुत्र भीयाराम हि0 2323/19778 हि0 जाति डाकोत सा0 देह खातेदार रहन हि0 2023/19778 पूर्ण बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर, बलवीर पुत्री भीयाराम हि0 2023/19778 जाति डाकोत सा0 देह खातेदार रहन हि0 2023/19778 पूर्ण एसबीआई शाखा गोरखाना, भजनलाल पुत्र बेगाराम हि0 3541/19778 हि0 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन हि0 3541/19778 हि0 पूर्ण एसबीआई शाखा गोरखाना, रामकुमार पुत्र

अधिवक्ता  
नोहर

बेगाराम हि0 3541/19778 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन हि0 3541/19778 पूर्ण एसबीआई शाखा गोरखाना, रामजीलाल पुत्र बेगाराम हि0 1770/9889 जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन हि0 1770/9889 पूर्ण पंजाब नेशनल बैंक शाखा नोहर, सावित्री पत्नी बंशीधर हि0 2555/9889 जाति सुनार सा देह खातेदार – ख0न0 438/3 की 2.023 हैक्ट, 473/5.311 हैक्ट, 474/2.555 हैक्ट कुल खसरा 3 कुल रकबा 09.889 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 18/02/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर

## अंतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 2/2018

अनवान : -

1. श्री मेघनाथ मठ डेरा गोरखाना जरिये मठाधिश योगी गोपालनाथ जाति नाथ निवासी गोरखाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

- वादी

### बनाम

1. जसरथ पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
2. प्रहलाद पुत्र दुनीराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
3. किशनलाल 4. बलवीर पि० भीगाराम जाति जोतकी निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
5. सावित्री पत्नी बंशीधर जाति सुनार निवासी गोरखाना तहसील नोहर
6. तीजा पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
7. रामजीलाल 8. भजनलाल 9. रामकुमार पि० बेगाराम जाति जाट निवासी गोरखाना तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिय तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 2 सन 2018 निर्णय दिनांक 18/02/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार साबित होने के कारण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा गोरखाना के ख०न० 53 की 1.644 हैक्ट ख०न० 54 की 0.3790 हैक्ट, ख०न० 57 की 0.9480 हैक्ट ख०० 373 की 0.0760 हैक्ट ख०न० 395 की 1.290 हेक्ट, ख०न० 396 की 1.771 हैक्ट ख०न० 438 की 4.034 हैक्ट, ख०न० 473 की 5.311 हैक्ट, ख०न० 474 की 2.555 हैक्ट, ख०न० 476 की 3.705 हैक्ट, ख०न० 482 की 1.290 हैक्ट ख०न० 486 की 4.3250 हैक्ट कुल खसरेजात 12 की 27.3280 हैक्ट भूमि भूमि वादी व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है-


- 1 श्री मेघनाथ मठ डेरा गोरखाना हिस्सा पूर्ण खातेदार- ख०न० 373 की 0.076 हैक्ट, 395/1.29, 396/1.771, 476/3.705, 482/1.29, 486/4.325 कुल खसरा 06 कुल रकबा 12.457 हैक्ट
- 2 तीजा पत्नी महेन्द्र सिंह जाति जाट सा० देह खातेदार हिस्सा पूर्ण रहन हिस्सा पूर्ण आईसीआईसीआई बैंक लि शाखा नोहर- ख०न० 53/1.644, 54 की 0.379, 57 की 0.948 हैक्ट कुल खसरा 03 कुल रकबा 02.971 हैक्ट
- 3 जसरथ उर्फ दसरथ पुत्र दुनीराम जाति जाट हि० पूर्ण सा० देह खातेदार ख०न० 438/1 की 1.005 हैक्ट
- 4 जगदीश पुत्र प्रहलाद हि० 1/3 जाति जाट सा० देह खातेदार रहन हि० 1/3 एसबीआई शाखा गोरखाना, रजनीश पुत्र प्रहलाद हि० 1/3 जाति जाट सा देह खातेदार रहन हिस्सा 1/3 पूर्ण एसबीआई शाखा गोरखाना, विमला पत्नी प्रहलाद हि० 1/3 जाति जाट सा० देह खातेदार रहन हि० 1/3 पूर्ण एसबीआई शाखा गोरखाना- ख०न० 438/2 की 1.006 हैक्ट

  
उपखण्ड अधिकारी  
नोहर

5 किशनलाल पुत्र भीयाराम हि० 2323/19778 हि० जाति डाकोत सा० देह खातेदार रहन हि० 2023/19778 पूर्ण बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा नोहर, बलवीर पुत्री भीयाराम हि० 2023/19778 जाति डाकोत सा० देह खातेदार रहन हि० 2023/19778 पूर्ण एसबीआई शाखा गोरखाना, भजनलाल पुत्र बेगाराम हि० 3541/19778 हि० जाति जाट सा० देह खातेदार रहन हि० 3541/19778 हि० पूर्ण एसबीआई शाखा गोरखाना, रामकुमार पुत्र बेगाराम हि० 3541/19778 जाति जाट सा० देह खातेदार रहन हि० 3541/19778 पूर्ण एसबीआई शाखा गोरखाना, रामजीलाल पुत्र बेगाराम हि० 1770/9889 जाति जाट सा० देह खातेदार रहन हि० 1770/9889 पूर्ण पंजाब नेशनल बैंक शाखा नोहर, सावित्री पत्नी बंशीधर हि० 2555/9889 जाति सुनार सा देह खातेदार – ख०न० 438/3 की 2.023 हैक्ट, 473/5.311 हैक्ट, 474/2.555 हैक्ट कुल खसरा 3 कुल रकबा 09.889 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि की किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना-अपना वहन करे।

यह अंतिम पर्चा डिक्री आज दिनांक ..18/02/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

  
(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
एवं सहायक कलक्टर  
नोहर